

**ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,**

भूखण्ड संख्या-01, सैक्टर-नॉलेज पार्क-4,  
ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर, ७०१०।

पत्रांक:-ग्रे.नौ./आई0टी0/2025/1656  
दिनांक:-07/04/2025

सेवा में,

मैसर्स परसन्दी इन्फोटेक पार्कस प्राइवेट लिमिटेड,  
भूखण्ड संख्या-21, सैक्टर-नॉलेज पार्क-3,  
ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर, ७०१०।

विषय:- अदेयता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 04.04.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा भूखण्ड संख्या-21, सैक्टर-नॉलेज पार्क-3, ग्रेटर नौएडा के अदेयता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

अवगत कराना है कि आपको आवंटित भूखण्ड के सापेक्ष दिनांक 07.04.2025 तक प्रीमियम एवं लीज रेंट के सापेक्ष कोई देयता नहीं है, किन्तु अतिरिक्त प्रतिकर के सापेक्ष धनराशि रू0 9,97,69,360/- की देयता है, जिसके विरुद्ध आपके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या-34357/2022 में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 30.11.2022 को आदेश पारित करते हुए सन्दर्भित याचिका को याचिका संख्या-6461/2018 के साथ जोड़ते हुए पारित आदेश का मुख्य अंश निम्नानुसार है:-

"In the meantime, no coercive measure shall be taken against the petitioner pursuant to the demand notice dated 18.08.2020."

अतः आपके अनुरोध के दृष्टिगत आवंटित भूखण्ड संख्या-21, सैक्टर-नॉलेज पार्क-3, ग्रेटर नौएडा के सापेक्ष अदेयता प्रमाण पत्र मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सन्दर्भित याचिका में पारित आदेश दिनांक 30.11.2022 के दृष्टिगत इस शर्त के साथ जारी किया जा रहा है कि यदि भविष्य में उक्त भूखण्ड के विरुद्ध गणना, नीति, अनुपालन में कोई त्रुटि पायी जाती है तो तदानुसार निकलने वाली देयता को प्राधिकरण के पक्ष में जमा कराया जाना होगा, साथ ही अतिरिक्त प्रतिकर की देयता सन्दर्भित याचिका में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी। यह अदेयता प्रमाण पत्र आगामी छः माह के लिए ही वैध होगा।

भवदीय,



(एन.के.सिंह)

विशेष कार्याधिकारी(संस्थागत)